संख्या-23/2025/I/893347/2025/003/71-2099/42/2023

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सी0बी0एम0आर0
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक-28-02-2025**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2024-25 में सी0बी0एम0आर0, लखनऊ के 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-एमई/बजट/2024-25/553, दिनांक 05.02.2025 का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत-05-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-12-सेन्टर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च,लखनऊ-31-सहायता अनुदान-सामान्य वेतन में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत वेतन मद लेखाशीर्षक-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी,-03-शिक्षा-87-मा0 अटल बिहारी बाजपेयी उत्तर प्रदेश चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 100.00 लाख हो रही बचत को सेन्टर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ के 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में धनराशि रू0 100.00 लाख पुनर्विनियोग किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत-05-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-12-सेन्टर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ-31-सहायता अनुदान-सामान्य वेतन हेतु पत्र संख्या-24/2025/A071-20242025-71-2099442/2023-1, दिनांक 27.02.2025 (बी0एम0-9 प्रपत्र संलग्न) के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

1. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नहीं रखा जाएगा।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. निदेशक, एवं वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक, सेन्टर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विगत वर्ष की कोई अप्रयुक्त धनराशि अवशेष है तो उसका समायोजन किया जा चुका है।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024- 231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं संशोधित कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024, दिनांक 19.06.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
6. धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक, सेन्टर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 2210051050312 सेन्टर ऑफ बॉयोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ मानक मद 31 सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-23/2025/1/893347/2025/003/71-2099/42/2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक, सेन्ट्रर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ।
8. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in